न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-262RAAJodhpur2023-141RTA223 Munni kanwar Vs Ratansingh etc

मुन्नी कंवर पत्नी जसवंतसिंह जाति राजपूत, निवासी– रावलगढ बेलवा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. रतनसिंह पुत्र सगतसिंह
2. गजेसिंह पुत्र सगतसिंह
3. रूप कंवर पत्नी सुमेरसिंह
4. चैनसिंह पुत्र सुमेरसिंह
5. पेपसिंह पुत्र सांगसिंह
6. हरिसिंह पुत्र सांगसिंह
7. फतेहसिंह पुत्र सांगसिंह
8. अन्तर कंवर पत्नी सांगसिंह
   सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण–' ग्राम तेना, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 सितंबर 2022 सहायक कलक्टर शेरगढ राजस्व मूल वाद संख्या 19/2022 रतनसिंह बनाम मुन्नी कंवर इत्यादि

उपस्थित–
श्री अनोपसिंह सोलंकी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री छोटूसिंह सोढा, अधिवक्ता–रेस्पोडेंट संख्या एक, पांच सात व आठ
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या नौ
शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 27 नवंबर 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर शेरगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 19/2022 अनवान रतनसिंह बनाम मुन्नी कंवर इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 सितंबर 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 03 अगस्त 2023 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1000 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, खसरा नं. 1002 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा नं. 1003 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा नं. 1005 रकबा 33.0870 हैक्टेयर, खसरा नं. 978 रकबा 2.5090 हैक्टेयर, खसरा नं. 1004 रकबा 0.0081 हैक्टेयर ग्राम तेना तहसील शेरगढ के संबंध में धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 30 सितंबर 2022 के जरिये वाद स्वीकार कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीनी पर सम्मन की सम्यक तामील करवाये बिना तथा अपीलार्थीया के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया गया है। अपीलार्थीया वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1005 में सें रकबा 10 बीघा की बेचाननामा दिनांक 24.05.202 के जरिये सद्भाविक क्रेता एवं रेकर्डेड खातेदार है। विचारण न्यायालय द्वारा न तो अपीलार्थीया पर सम्मन तामील करवाया गया और न ही बंटवाड़ा प्रस्ताव बाबत कोई सूचना दी गई। विचारण न्यायालय नियम विरूद्ध प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री पारित करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय होने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारां सुनवाई का नोटिस अपीलार्थीया को नही दिये जाने तथा वादी एवं शेष रेस्पोडेंट्स द्वारा मिलीभगती कर उक्त निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री पारित करवाये जाने से अपीलांट को समय पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की आड़ में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पोडेंट्स द्वारा मौके पर अनाधिकृत कब्जा करने का प्रयास किये जाने पर अपीलार्थीया को विचारण न्यायालय से जानकारी प्राप्त कर नकल लेने हेतु दिनांक 28.07.2023 को आवेदन किया जो दिनांक 28.07.2023 को नकल प्राप्त होने पर सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 सितंबर 2022 को अपास्त फरमाया जावे एवं मामले को अधीनस्थ न्यायालय में इस निर्देश के साथ कि विधिक प्रक्रिया अपनाकर निर्णित करने के प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीया पर सम्मनो की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद भी वह विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुई। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन के वाद में उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील विलंब से प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा विलंब का कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया गया हैं। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन एव म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम में वर्णित तथ्यों पर विश्वास जाहिर करते हए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलार्थीया पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 24.05.2022 के जरिये वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1005 रकबा 33.0870 हैक्टेयर में 10 बीघा की रेकर्डेड सहखातेदार दर्ज है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अपीलांट मुन्नी कंवर को भेजे गये सम्मन के अवलोकन मुताबिक उक्त सम्मन बिना किसी तामील रिपोर्ट के विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीया पर सम्मन की सम्यक तामील करवाये बिना तथा बिना किसी तामीली रिपोर्ट के उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनसथ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीया को अपना पक्ष रखने तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शेरगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 19/2022 अनवान रतनसिंह बनाम मुन्नी कंवर इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 सितंबर 2022 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट सहित उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत मामले विधिनुसार पुनः निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर